भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 54-एफ-4-116-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, चिचली, जिला नरसिंहपुर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् चिचली अधिसूचित किया जाता है:—

		-	^
स	Ą	U	Π

क्र.	जिला	तहसील	क्षेत्र का नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नरसिंहपुर	गाडरवारा	नगर परिषद्, चिचली	नगर पंचायत, चिचली, थलवाड़ा, दहलवाड़ा खैरी, सुदरास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया. उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 55-एफ-1-26-2011-अठारह-3—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) में प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद्, पाली, जिला उमिरया को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगरपालिका परिषद्, पाली अधिसुचित किया जाता है:—

सारणी

	জিলা (2)	क्षेत्र का नाम (3)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (4)	
1.	उमरिया	नगरपालिका परिषद्, पाली	नगर परिषद्, पाली का संपूर्ण क्षेत्र	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 56-एफ-1-13-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत चांद, जिला छिन्दवाड़ा को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् चांद अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

死 .	জিলা	तहसील	क्षेत्र का नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छिन्दवाड़ा	चौरई	नगर परिषद्, चांद	ग्राम पंचायत चांद का संपूर्ण क्षेत्र, ग्राम पंचायत हरनाखेड़ी, भांड पिपरिया, (ग्राम पंचायत खेरी रानी का ग्राम एवं गोहरगांव, ग्राम पंचायत मोहार का ग्राम) शामिल किये गये हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.